



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248459
CG-DL-E-31082023-248459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]
No. 503]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2023

संख्या 51/2023-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 643(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 11/2021 सीमा-शुल्क, तारीख 01 फरवरी, 2021 जो संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 01 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

I. सारणी में, -

- (1) क्रम संख्यांक 10ए के सामने, स्तंभ (4) में "शून्य" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (2) क्रम संख्यांक 10ख के सामने, स्तंभ (4) में "शून्य" प्रविष्टि रखी जाएगी

- II. सारणी के पश्चात् पहले और दुसरे परंतुक का लोप किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 2023 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/01/2023-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, संख्यांक 11/2021-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2021 संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 45/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2023 द्वारा अंतिमवार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 475(अ), तारीख 1 जुलाई, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2023

No. 51/2023-Customs

G.S.R. 643(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021, namely :-

In the said notification,-

I. in the Table,-

(1) against Sl. No. 10AA, in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;

(2) against Sl. No. 10B, in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;

II. the first and the second proviso after the Table shall be omitted;

2. This notification shall come into effect on the 1st day of September, 2023.

[F. No. 349/01/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: - The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021 and last amended *vide* notification No. 45/2023-Customs, dated the 1st July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 475(E), dated the 1st July, 2023.